

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पीपलू
तहसीलदार पीपलू बनाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बीसलपुर विस्थापित, देवली
किस्म मुकदमा-आवेदन अन्तर्गत धारा 131 एल.आर.एक्ट. 1956

प्रकरण संख्या 35 सन् 2025

तारीख हुवम	हुवम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुवम की तारीख में जारी हुए
03-06-25	<p>पत्रावली रिपोर्ट होकर पेश हुई। प्रार्थी ने उपस्थित होकर पत्रावली प्रस्तुत की। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर तलबी समन प्रतिपक्षी जारी हो। पत्रावली दिनांक 10.06.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उप खण्ड अधिकारी पीपलू (टॉक)</p>	
10/06/25	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी तहसीलदार उप./ पत्रावली इन्तजार तलबी से दिनांक 13.06.25 को पेश हो।</p>	
13/6/25	<p>पत्रावली पेश हुई। अभियक्ता सभी/प्रार्थी उपाय/पी.ओ. साहब राजकार्य में व्यस्त। अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली ज. अवेसिका अनुसर दिनांक 17.6.25 को पेश हो।</p>	
17/06/25	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी तहसीलदार उप./ प्रतिपक्षी की तामिल रिपोर्ट प्राप्त। प्रतिपक्षी की तामिल हो चुकी है। पत्रावली वास्तु इन्तजार पक्षकार दिनांक 20.06.25 को पेश हो।</p>	
20/06/25	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी उपाय/प्रार्थी वास्तु इन्तजार पक्षकार दिनांक 24-6-25 को पेश हो।</p>	

24/7
पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता कम्पनी/प्राची
व्यवस्था/पीओ सहित राजकार्य में व्यस्त।
जवाबदा पर/स्थानान्तरित होने के कारण
पत्रावली 18 अक्टूबर अनुसार दिनांक
18.10.25...पेश हो।
Ram

04/25 07/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्राची उप./पत्रावली
वास्तव इन्तजार पश्चात् दिनांक 11.07.25 को
पेश हो।

11/25 07/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता कम्पनी/प्राची
व्यवस्था/पीओ सहित राजकार्य में व्यस्त।
जवाबदा पर/स्थानान्तरित होने के कारण
पत्रावली 18 अक्टूबर अनुसार दिनांक
18.7.25...पेश हो।
Ram

18/25 07/25 पत्रावली पेश हुई। प्राची नदसीमदार उप./पत्रावली
इन्तजार पश्चात् प्रतिपक्षी हेतु दिनांक 24.07.2025
को पेश हो।

24/25 07/25 पत्रावली पेश हुई। प्राची नदसीमदार उप./ प्रतिपक्षी
की नामित जग्गि रजिस्टर्ड सी. की जा चुकी है।
प्रतिपक्षी ट्रेडिंग रिपोर्ट सौजन्य है। प्रतिपक्षी को बर=2
उपस्थित होने का आदेश दिया गया, लेकिन आज
दिनांक तक प्रतिपक्षी अनुपस्थित रहे। अतः उनके बिना
एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है।
प्राची नदसीमदार ने बरस का निवेदन दिया।
प्राची की एक तरफा बरस सुनी गई। पत्रावली
वास्तव आदेश दिनांक 05.08.25 को पेश हो।

